45

स्रोत पर कर की कटौती नहीं करना

ग्रामीण विकास मंत्रालय

लोक लेखा समिति
(2021-22)

पैंतालीसवां प्रतिवेदन

सत्रहवीं लोक सभा

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली

पीएसी सं. 2273

पैंतालीसवां प्रतिवेदन

लोक लेखा समिति
(2021-22)

(सत्रहवीं लोक सभा)

स्रोत पर कर की कटौती नहीं करना

ग्रामीण विकास मंत्रालय

16-03-2022 को लोक सभा में प्रस्तुत किया गया।
16-03-2022 को राज्य सभा के पटल पर रखा गया।

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मार्च, 2022/ फाल्गुन , 1943 (शक)

विषय-सूची

पृष्ठ

लोक लेखा समिति (2021-22) की संरचना (iii)

लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति- एक (सिविल) की संरचना (iv)

प्राक्कथन (v)

प्रतिवेदन

भाग – एक

एक. प्रस्तावना

दो. वर्णनात्मक अंश 1-11

भाग – दो

टिप्पणियां/सिफारिशें

परिशिष्ट

एक. लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति- एक (सिविल) की 01.09.2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश। 12-14

दो. लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति- एक (सिविल) की 29.10.2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश। 15-17

तीन. लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति- एक (सिविल) की 30.12.2021 को हुई बैठक का र्यवाही सारांश। 18

चार. लोक लेखा समिति (2021-22) की 10.02.2022 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश। 19-20

लोक लेखा समिति (2021-22) की संरचना

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री टी.आर. बालू
3. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
4. श्री सुधीर गुप्ता
5. श्री भर्तृहरि महताब
6. श्री जगदम्बिका पाल
7. श्री विष्णु दयाल राम
8. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी *
9. श्री राहुल रमेश शेवाले
10. श्री जी. एम. सिद्देश्वर **
11. श्री राजीव रंजन सिंह `ललन`
12. डॉ. सत्यपाल सिंह
13. श्री जयंत सिन्हा
14. श्री बालाशौरी वल्लभनेनी
15. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

16. श्री शक्तिसिंह गोहिल
17. श्री भुवनेश्वर कालिता
18. डॉ. सी.एम. रमेश
19. श्री सुखेन्दु शेखर राय
20. डॉ. एम. थंबीदुरई
21. श्री वि. विजयसाई रेड्डी #
22. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी ##

सचिवालय

1. श्री टी. जी. चन्द्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री तीर्थंकर दास - निदेशक
3. श्रीमती अंजु कुकरेजा - उप सचिव
4. श्री शिव शंकर प्रधान - कार्यकारी अधिकारी

---

*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 29.07.2021 से निर्वाचित।

**श्री अजय मिश्र टेनी, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 29.07.2021 से निर्वाचित।

श्री राजीव चन्द्रशेखर, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 09.08.2021 से निर्वाचित।

श्री भूपेन्द्र यादव, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को केंद्रीय मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 09.08.2021 से निर्वाचित।

लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति- एक (सिविल) की संरचना

1. श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति
2. श्री शक्तिसिंह गोहिल - संयोजक
3. श्री टी.आर. बालू - सदस्य
4. श्री सुधीर गुप्ता - सदस्य
5. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी* - सदस्य
6. श्री राहुल रमेश शेवाले - सदस्य

---

*श्रीमती दर्शना विक्रम जरदोश, संसद सदस्य को दिनांक 07.07.2021 को राज्य मंत्री के रूप में नियुक्त किए जाने के कारण उनके स्थान पर दिनांक 29.07.2021 से निर्वाचित।

प्राक्कथन

मैं, लोक लेखा समिति (2021-22) का सभापति, समिति द्वारा प्राधिकृत किए जाने पर, उनकी ओर से ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2021 के प्रतिवेदन सं. 2 के पैरा 10.1 पर आधारित "स्रोत पर कर की कटौती नहीं करना" विषय संबंधी यह पैंतालीसवां प्रतिवेदन (सत्रहवीं लोक सभा) प्रस्तुत करता हूँ।

2. नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2021 के प्रतिवेदन सं. 2 को 24.03.2021 को सभा पटल पर रखा गया था।

3. लोक लेखा समिति (2021-22) ने उपर्युक्त विषय का चयन किया और उप-समिति-एक (सिविल) को इसे जांच करने और प्रतिवेदन तैयार करने हेतु सौंपा।

4. लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति-एक (सिविल) को दिनांक 01.09.2021 को लेखापरीक्षा द्वारा जानकारी प्रदान की गई। तत्पश्चात, उप-समिति ने दिनांक 29.10.2021 को उपर्युक्त पैरा के संबंध में ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लिया।

5. लोक लेखा समिति की उप-समिति-एक (सिविल) ने दिनांक 30.12.2021 को हुई अपनी बैठक में उपर्युक्त पैरा से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदन पर पहले विचार किया और इसे स्वीकृत किया। तत्पश्चात, प्रारूप प्रतिवेदन को मुख्य समिति के समक्ष विचारार्थ और स्वीकार करने हेतु रखा गया। समिति ने दिनांक 10.02.2022 को हुई अपनी बैठक में इसे स्वीकार किया। बैठकों के कार्यवाही सारांश प्रतिवेदन में संलग्न हैं।

6. संदर्भ और सुविधा की दृष्टि से समिति की टिप्पणियों और सिफारिशों को मोटे अक्षरों में मुद्रित किया गया है और ये प्रतिवेदन का भाग – दो हैं।

7. समिति, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों द्वारा समिति के समक्ष साक्ष्य देने और विषय की जांच के संबंध में उप-समिति-एक (सिविल) को अपेक्षित जानकारी प्रस्तुत करने के लिए उनको धन्यवाद देती है।

8. समिति, इस मामले में समिति सचिवालय और भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक के कार्यालय द्वारा उनको दी गई सहायता की भी सराहना करती है।

नई दिल्ली;
मार्च, 2022
फाल्गुन, 1943 (शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

प्रतिवेदन

भाग एक

1. यह प्रतिवेदन ग्रामीण विकास मंत्रालय से संबंधित **2021** की नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट संख्या **2** के पैरा **10.1** पर **आधारित "स्रोत पर कर की कटौती न होना" विषय से संबंधित है।**

प्रस्तावना

2. आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 ञ के अनुसार, व्यावसायिक या तकनीकी सेवाओं के लिए शुल्क के संबंध में स्रोत पर कर ऐसे शुल्क के 10 प्रतिशत की दर से काटा जाएगा । इसके अलावा, उक्त अधिनियम की धारा 201 में उपबंध है कि यदि कोई व्यक्ति, जो स्रोत पर कटौती करने के लिए उत्तरदायी है, कटौती नहीं करता है अथवा इस प्रकार कटौती करने के बाद, कर के पूरे या किसी भाग का सरकार को भुगतान करने में विफल रहता है, तो , ऐसा व्यक्ति, ऐसे कर की राशि पर उस तारीख से, जिस तारीख को ऐसा कर काटा जाना था, उस तारीख तक, जिस पर ऐसा कर काटा गया था, प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

3. ग्रामीण विकास मंत्रालय (मंत्रालय) ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संघ (कंसोर्टियम) के साथ एक समझौता (फरवरी 2012) किया है, जिसमें मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), मैसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) और मैसर्स आईटीआई लिमिटेड (आईटीआईएल) शामिल हैं। इस कंसोर्टियम को सामूहिक रूप से सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए तहसील स्तर पर सूचना के विशिष्ट मदों पर सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना के लिए डेटा के संग्रहण, समेकन और इसे अद्यतन करने का कार्य सौंपा गया था। इस कार्य में प्रारूप सूची तैयार करना और इसका मुद्रण, इसमें सुधार करना और उसके बाद एक अंतिम सूची तैयार करना शामिल था। इस उद्देश्य के लिए, कंसोर्टियम को सभी राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों में जनगणना के कार्य निष्पादन के लिए एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर विकसित करना, इसे स्थापित करना और बनाए रखना था। समझौते के खंड 11.8.1 के अनुसार, अधिकारियों द्वारा

कंसोर्टियम को सभी भुगतान आयकर अधिनियम के तहत स्रोत पर कर की कटौती के अध्यधीन थे।

4. कंसोर्टियम द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवा व्यावसायिक और तकनीकी स्वरूप की थी और इसलिए, स्रोत पर 10 प्रतिशत की दर से कर की कटौती के अध्यधीन थी। लेखापरीक्षा ने पाया कि उपरोक्त फर्मों को मार्च 2018 में किए गए कुल 72.16 करोड़ रुपये के भुगतान से स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। इस प्रकार, निर्धारित प्रावधानों और अनुबंध की शर्तों का अनुपालन सुनिश्चित करने में मंत्रालय की विफलता के परिणामस्वरूप ₹ 7.21 करोड़ के कर की कटौती नहीं हुई। यह एक वैधानिक गैर-अनुपालन है जो मंत्रालय को पहले उप-पैरा में यथा उल्लिखित ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाता है। यह मंत्रालय के भीतर भुगतान स्तर पर आंतरिक नियंत्रण को मजबूत करने का भी उल्लेख करता है।

5. लेखापरीक्षा द्वारा उल्लेख किए जाने पर, मंत्रालय ने बताया (अक्टूबर 2020) कि 2018-19 के दौरान किए गए कुछ भुगतानों को छोड़कर, सीपीएसयूज को किए गए भुगतानों पर कोई टीडीएस नहीं काटा गया है।

6. निर्धारित प्रावधानों और समझौते की शर्तों के अनुपालन को सुनिश्चित करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय की विफलता के स्पष्ट कारणों ,जिसके परिणामस्वरूप 7.21 करोड़ रुपये की कर की कटौती नहीं हुई, के बारे में समिति को अवगत कराते हुए,, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

> "वित्तीय वर्ष 2017-18 के अंतिम दिन बिलों पर कार्यवाही करने संबंधी बहुत अधिक कार्य होने के कारण डीडीओ (पीएओ स्पेशल सेल) द्वारा भूलवश स्रोत पर कर नहीं काटा जा सका।"

7. केवल एक डीडीओ होने का कारण बताते हुए, सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने समिति के समक्ष निम्नानुसार बताया:

> "उस समय तक, पुनर्गठन और डीडीओ का परिवर्धन नहीं हुआ था। इसके बाद, अगले वित्तीय वर्ष यानी *2018-19* में नौ और डीडीओ को पद पर लाया गया।।"

8. दस डीडीओ की स्वीकृति के मुद्दे पर विस्तार से बताते हुए सचिव, ग्रामीण विकास ने बताया कि:

> "हमारे पास लोगों की संख्या कम थी। इसके बाद सरकार ने निर्णय लिया कि एक व्यक्ति इस कार्य के दबाव को नहीं संभाल पाएगा। इसलिए, उन्होंने आहरण और संवितरण अधिकारियों के नौ और पद सृजित किए। इसलिए, यह एक चूक है।"

9. यह पूछे जाने पर कि 2018-19 के दौरान किए गए कुछ भुगतानों पर चुनिंदा रूप से कर क्यों काटा गया, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नानुसार बताया :

> "वित्तीय वर्ष 2018-19 के दौरान, तीन फर्मों, मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, मेसर्स आईटीआई लिमिटेड और मैसर्स ईसीआई लिमिटेड को 362.38 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया। इसके लिए आयकर अधिनियम के खंड 194 (ग) के संदर्भ में 2% की समान दर से टीडीएस के रूप में 7.25 करोड़ रुपये की कटौती की गई थी। इसके अलावा, एसईसीसी-2011 के संचालन के लिए टैबलेट पीसी और सहायक उपकरण की खरीद पर उत्पाद शुल्क और सीएसटी/वैट के लिए बीईएल लिमिटेड को 12.63 करोड़ रुपये का भुगतान किया गया था।"

10. जब स्रोत पर काटे जाने वाले सभी कर अर्थात 7.21 करोड़ रुपये की कटौती की वर्तमान स्थिति के बारे में पूछा गया, तो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

> "वित्तीय वर्ष 2017-18 के दौरान जारी किए गए 72.16 करोड़ रुपये के कुल भुगतान के लिए स्रोत पर कोई कर कटौती नहीं की गई। यह भूलवश हुआ क्योंकि वित्तीय वर्ष के समापन के अंतिम दिन डीडीओ को बहुत अधिक बिलों पर कार्यवाही करनी थी। हालांकि, इसमें शामिल सभी तीन सार्वजनिक उपक्रमों ने बताया है कि उन्होंने प्राप्त आय की स्वतः घोषणा कर दी है और भारत सरकार के खाते में कर जमा कर दिया है। सीपीएसयू द्वारा प्रदान की

गई जानकारी के अनुसार, दो पीएसयू, बीईएल और ईसीआईएल ने 2015-16 में अपने खातों में संबंधित राशि के संबंध में राजस्व को प्रोद्भवन के आधार पर स्वीकार किया था और इसे वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ही कर के लिए प्रस्तुत किया गया था। आईटीआई लिमिटेड के मामले में, यह सूचित किया गया है कि यह घाटे में चल रही कंपनी है और प्रदान की गई सेवाओं के कारण प्राप्त राशि को आय के रूप में दर्ज किया गया था, लेकिन कर का भुगतान करने की कोई देयता नहीं थी क्योंकि इसे अगले लाभ से घाटे की पूर्ति करनी थी।इसलिए, जहां भी लागू हो, उनके द्वारा कर भारत सरकार के खाते में जमा किए गए थे।"

11. आगे, भविष्य में ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति से बचा जा सके इसलिए ऐसी चूक होने पर अधिकारियों की जिम्मेदारी तय करने के मुद्दे पर, मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"जैसा कि ऊपर बताया गया है, स्रोत पर कर की गैर-कटौती डीडीओ की ओर से हुई भूल के कारण हुई। अधिकारी को चूक के कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी। भविष्य में इस तरह की चूक से बचने के लिए, मंत्रालय के दिनांक 11.11.2021 के कार्यालय ज्ञापन (प्रतिलिपि संलग्न) द्वारा डीडीओ को संस्वीकृतियों की जांच करने और समय-समय पर जारी डीडीओ मैनुअल और वैधानिक निर्देशों के अनुसार बिल तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, संस्वीकृतियां जारी करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी संस्वीकृति में वैधानिक कटौतियों आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।"

12. यह पूछे जाने पर कि मंत्रालय के आंतरिक लेखापरीक्षा विंग द्वारा इस चूक की पहचान क्यों नहीं की गई और मंत्रालय द्वारा अपने आंतरिक लेखापरीक्षा विंग को मजबूत करने के लिए क्या कार्रवाई की गई ताकि भविष्य में ऐसे मामलों से बचा जा सके, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने निम्नानुसार बताया:

"पूर्व में, आंतरिक लेखापरीक्षा विंग (आईएडब्ल्यू) ने इस उद्देश्य के लिए नियमित जनशक्ति की कमी के कारण योजनाओं के डीडीओ की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की थी। तथापि, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए अनुभाग अधिकारी (रोकड़) के लिए 2020 में आंतरिक

लेखापरीक्षा की गई थी। इसके अलावा, कंसल्टेंट्स की नियुक्ति के माध्यम से सीसीए कार्यालय, ग्रामीण विकास विभाग द्वारा मनरेगा और पीएमएवाई-जी जैसी योजनाओं के लिए जोखिम आधारित आंतरिक लेखा परीक्षा की जा रही है। आज तक, आईएडब्ल्यू ने आंतरिक लेखापरीक्षा करने के लिए 17 लेखापरीक्षा कंसल्टेंट्स को नियुक्त किया है।आईएडब्ल्यू को अब योजनाओं के डीडीओ के लिए भी आंतरिक लेखापरीक्षा करने का निर्देश दिया गया है (प्रतिलिपि संलग्न)। इसके अलावा, आईएडब्ल्यू को मजबूत करने के लिए निम्नलिखित पदों के सृजन का प्रस्ताव वित्त मंत्रालय को सितंबर 2019 में प्रस्तुत किया गया है:

पदनाम/स्तर	संख्या
सीसीए	01
सीए	02
डिपुटी सीए	04
एसीए/ डिपुटी सीए	27
एएओ/एओ/सीनियर एओ	28
लेखाकार / पीए / पीएस और अन्य कार्यालय सहायक	14

13. आयकर अधिनियम की धारा201 में प्रावधान है कि यदि कोई व्यक्ति, जो स्रोत पर कटौती करने के लिए उत्तरदायी है, कटौती नहीं करता है अथवा इस प्रकार कटौती करने के बाद, कर के पूरे या किसी भाग का भुगतान करने में विफल रहता है, तो , ऐसा व्यक्ति, ऐसे कर की राशि पर उस तारीख से, जिस तारीख को ऐसा कर काटा जाना था, उस तारीख तक, जिस पर ऐसा कर काटा गया था, प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा।

14. यह पूछे जाने पर कि क्या इस तरह की चूक के लिए जिम्मेदार संबंधित व्यक्ति से हर महीने एक प्रतिशत की दर से साधारण ब्याज वसूल किया गया है, मंत्रालय ने अपने लिखित उत्तर में निम्नवत बताया:

"डीडीओ द्वारा भूलवश स्रोत पर कर नहीं काटा गया था, लेकिन देय कर भारत सरकार के खाते में दो पीएसयू द्वारा जमा किए गए हैं, जबकि एक पीएसयू घाटे में चल रहा उद्यम है। इसलिए, कर की राशि पर ब्याज का

भुगतान करने की देयता लागू नहीं हो सकती है।यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में इस तरह की घटनाएं न हों, डीडीओ को मंत्रालय के दिनांक 11.11.2021 के कार्यालय ज्ञापन के माध्यम से समय-समय पर जारी डीडीओ मैनुअल और वैधानिक निर्देशों के अनुसार संस्वीकृतियों की जांच करने और बिल तैयार करने का निर्देश दिया गया है। साथ ही, संस्वीकृति जारी करने वाले अधिकारियों को निर्देश दिया गया है कि वे अपनी संस्वीकृति में वैधानिक कटौतियों आदि का स्पष्ट रूप से उल्लेख करें।"

भाग दो

टिप्पणियां / सिफारिशें

1. समिति नोट करती है कि ग्रामीण विकास मंत्रालय ने सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के संघ, (कंसोर्टियम) जिसमें मैसर्स भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड (बीईएल), मेसर्स इलेक्ट्रॉनिक्स कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड (ईसीआईएल) और मैसर्स आईटीआई लिमिटेड (आईटीआईएल) शामिल हैं, के साथ एक समझौता (फरवरी, 2012) किया। इस संघ को सामूहिक रूप से सभी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को कवर करते हुए तहसील स्तर पर सूचना की विशिष्ट मदों पर सामाजिक-आर्थिक और जाति जनगणना के लिए डेटा के संग्रहण, समेकन और अद्यतन करने का कार्य सौंपा गया था। समझौते के खंड 11.8.1 के अनुसार, अधिकारियों द्वारा कंसोर्टियम को सभी भुगतान आयकर अधिनियम के अंतर्गत स्रोत पर 10% की दर से कर के अध्यधीन थे।समिति ने पाया कि इन फर्मों को मार्च, 2018 में किए गए कुल 72.16 करोड़ रूपए के भुगतान से 7.21 करोड़ रूपए के स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी। आयकर अधिनियम की धारा 194ञ का यह वैधानिक गैर-अनुपालन मंत्रालय को आयकर अधिनियम की धारा 201 के अनुसार ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाता है।

2. समिति यह नोट करके हैरान है कि वित्त वर्ष 2017-18 के अंतिम दिन विधेयकों की अत्यधिक संख्या को संसाधित करने के कारण ग्रामीण विकास मंत्रालय ने इस मामले में स्रोत पर कर की कटौती न करने के लिए आहरण एवं संवितरण अधिकारी (डीडीओ) को जिम्मेदार ठहराया है।समिति मंत्रालय की दलील को स्वीकार नहीं कर सकती क्योंकि सामान्य वित्तीय नियमावली के नियम 69 में यह प्रावधान है कि विशेष रूप से वित्त वर्ष के अंतिम महीने में व्यय की उतावली को वित्तीय औचित्य का उल्लंघन माना जाना चाहिए और इसलिए, इससे बचा जाना चाहिए। समिति की राय में, यह मंत्रालय में वित्तीय अनुशासन और जवाबदेही की कमी के रूप में प्रतीत होता है।अत: समिति चाहती है कि मार्च में व्यय की उतावली के कारण हुई ऐसी चूकों से बचने के लिए, ग्रामीण विकास मंत्रालय को प्रभावी वित्तीय अनुशासन और बेहतर परिणाम के लिए मार्च की उतावली से बचने के लिए और व्यय के सम प्रवाह की निगरानी हेतु मासिक समीक्षा बैठकें आयोजित

करने हेतु एक तंत्र तैयार करना चाहिए। प्रौद्योगिकीय प्रगति के इस युग में समय-समय पर इस तरह के लेनदेन पर नजर रखना असंभव नहीं है।

समिति यह जानकर पुनः चकित है कि जैसा कि सचिव, ग्रामीण विकास मंत्रालय ने साक्ष्य के दौरान कहा कि उक्त लेनदेन के समय मंत्रालय में केवल एक डीडीओ था और बाद में, अगले वित्तीय वर्ष यानी 2018-19 में, दस और डीडीओ को नियुक्त किया गया। समिति यह नहीं समझ पाई कि 2017-18 में ही और डीडीओ की नियुक्ति के लिए कोई अग्रिम कार्रवाई क्यों नहीं की गई, जिसकी मंत्रालय के बजट प्रभाग में भी अत्यधिक आवश्यकता थी।यह स्पष्ट रूप से मंत्रालय में बजट अनुभाग के लिए स्वीकृत कर्मचारी रखने की खराब योजना को दर्शाता है, क्योंकि 2017-18 में भी काम कई गुना था, किंतु उन्होंने अधिक डीडीओ रखने की योजना नहीं बनाई थी, और अचानक उनमें से दस को नियुक्त कर दिया।समिति यह देखकर हैरान है कि ऐसे समय में जब उसे दस डीडीओ की नियुक्ति की आवश्यकता थी, ग्रामीण विकास मंत्रालय, जो महत्वपूर्ण मंत्रालयों में से एक है, अपने बजट सेल को केवल एक डीडीओ के साथ कैसे संभाल सकता है, जिससे इस तरह की त्रुटियां होती हैं और परिणामस्वरूप सरकारी खजाने को नुकसान होता है। इस मामले को बहुत गंभीरता से लेते हुए, समिति चाहती है कि अब से ग्रामीण विकास मंत्रालय भविष्य में ऐसी कमियों से बचने के लिए सभी अनुभागों, विशेष रूप से बजटीय में पर्याप्त कर्मचारियों के चयन/तैनाती के लिए अपने नियोजन तंत्र को मजबूत करे।इसके अलावा, मंत्रालय के मुखिया का यह कर्तव्य है कि वह कुल कार्यभार, कर्मचारियों की वास्तविक आवश्यकता तथा मंत्रालय के प्रत्येक अनुभाग में उनकी आवश्यकता के अनुसार उनकी तैनाती पर नजर रखे।

जवाबदेही तय करने के संबंध में समिति को सूचित किया गया है कि डीडीओ को चूकों के कारणों को स्पष्ट करने के लिए कहा गया है जिसके आधार पर सक्षम प्राधिकारी द्वारा आगे की कार्रवाई की जाएगी।समिति इस कार्रवाई को समझने में असमर्थ है, क्योंकि सरकारी तंत्र में ऐसी फाइलों को या तो सक्षम प्राधिकारी या वरिष्ठ अधिकारियों द्वारा मंजूरी दी जाती है।इसलिए, समिति महसूस करती है कि वरिष्ठ अधिकारियों की जिम्मेदारी भी तय की जानी चाहिए जो इस तरह के बकाया की मंजूरी न देने के लिए अंतिम प्राधिकारी हैं।इसलिए समिति सिफारिश करती है कि केवल डीडीओ से इस चूक के कारणों को स्पष्ट करने के

लिए कहने के बावजूद, मंत्रालय को चूक के लिए जिम्मेदार अन्य वरिष्ठ अधिकारियों की भी पहचान करनी चाहिए थी। समिति चाहती है कि मंत्रालय चूक से संबंधित कनिष्ठ और वरिष्ठ अधिकारियों के खिलाफ अनुकरणीय अनुशासनात्मक कार्रवाई शुरू करे ताकि बिना किसी देरी के जवाबदेही और जिम्मेदारी के सिद्धांतों को अक्षरशः लागू किया जा सके।

3. समिति साक्ष्य के दौरान मंत्रालय के प्रतिनिधियों के साक्ष्य से क्षुब्ध है कि हालांकि स्रोत पर कर की कटौती नहीं की गई थी, किंतु संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने प्राप्त आय पर अपेक्षित कर का भुगतान किया है। ग्रामीण विकास मंत्रालय के अनुसार, सार्वजनिक क्षेत्र के दो उपक्रमों अर्थात् बीईएल और ईसीआईएल ने संबंधित राशि के लिए राजस्व को 2015-16 में उपचय आधार पर अपने बही खातों में मान्यता दी थी और इसे वित्तीय वर्ष 2015-16 के दौरान ही कर के लिए पेश किया गया था। आईटीआई लिमिटेड के मामले में, मंत्रालय ने बताया है कि यह एक घाटे में चल रही कंपनी थी और प्रदान की गई सेवाओं के कारण प्राप्त राशि को आय के रूप में दर्ज किया गया था लेकिन करों का भुगतान करने की कोई जिम्मेदारी नहीं थी क्योंकि इसने घाटे को आगे बढ़ाया था। समिति यह जानकर चकित है कि मंत्रालय 17 सितंबर, 2021 को अर्थात सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कर जमा किए जाने से पांच साल के अंतराल के बाद ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव की अध्यक्षता में हुई बैठक के बाद ही सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा कर जमा किए जाने की जानकारी का पता लगा सका। न तो उन्होंने भुगतान के समय टीडीएस काटा और न ही पीएसयू से कर के भुगतान के संबंध में पता लगाया, जो बेहद खेदजनक है। लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किए जाने के बाद ही मंत्रालय ने पीएसयू के साथ इस मुद्दे पर चर्चा की। यदि लेखापरीक्षा द्वारा इसे इंगित नहीं किया गया होता, तो मंत्रालय इस गलती से अनभिज्ञ ही रहता और भविष्य में ऐसी गलतियों की पुनरावृत्ति से बचने के लिए कोई सुधारात्मक उपाय नहीं किए गए होते।

4. इसके अलावा, समिति, मंत्रालय की इस दलील को स्वीकार नहीं कर सकती कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों ने पहले ही कर का भुगतान कर दिया है। चूंकि, पीएसयू के साथ समझौते के खंड 11.8.1 और आयकर अधिनियम, 1961 की धारा 194 ञ के अनुसार, अधिकारियों द्वारा कंसोर्टियम को किए गए सभी

भुगतान स्रोत पर 10 प्रतिशत की दर से कर की कटौती के अध्यधीन हैं। इसलिए, समिति का यह विचार है कि मंत्रालय को यह धारणा बनाने के बजाय कि संबंधित सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम अपेक्षित कर का भुगतान करेंगे भुगतान के समय ही स्रोत पर कर की अनिवार्य रूप से कटौती करनी चाहिए थी। मंत्रालय को पहले ही टीडीएस की कटौती कर लेनी चाहिए थी और फिर आयकर विभाग को दोनों पहलुओं की जांच करने देनी चाहिए थी और यदि आवश्यक हो, तो उसके बाद पीएसयू द्वारा जमा किए गए कर को वापस किया जा सकता है। मंत्रालय पूरे मामले की जिम्मेदारी लेने से खुद को नहीं बचा सकता है। समिति यह जानकर चकित है कि मंत्रालय ने इस मामले में स्रोत पर कर की कटौती के प्रति एक बहुत ही लापरवाह दृष्टिकोण अपनाया था जिसके कारण राजकोष को 7.21 करोड़ रुपए के राजस्व का घाटा हुआ, जो उसके पास 2017-18 में आना चाहिए था। इसलिए, समिति इस बात पर जोर देती है कि मंत्रालय भविष्य में इस प्रकार की चूक से बचने के लिए इस तरह के लेनदेन की समय पर निगरानी हेतु पर्याप्त कर्मचारियों के साथ मजबूत तंत्र विकसित करे।

5. समिति यह नोट करके भी क्षुब्ध है कि मंत्रालय में आंतरिक लेखापरीक्षा विंग (आईएडब्ल्यू) इस चूक का पता नहीं लगाया और मंत्रालय के अनुसार नियमित कर्मचारियों की कमी के कारण डीडीओ की आंतरिक लेखापरीक्षा नहीं की गई थी। तथापि, 2017-18, 2018-19 और 2019-20 की अवधि के लिए अनुभाग अधिकारी (नकद) के लिए 2020 में एक आंतरिक लेखा परीक्षा कराई गई थी। समिति यह नोट करके हैरान है कि यह भी लेखापरीक्षा द्वारा इंगित किये जाने के बाद किया गया था। ऐसा लगता है कि मंत्रालय में आंतरिक नियंत्रण और बजटीय तंत्र पूरी तरह से खराब स्थिति है, जो मंत्रालय के भीतर आंतरिक नियंत्रण, बजट प्रबंधन और निगरानी तंत्र की मौजूदा प्रणालियों को मजबूत करने की आवश्यकता का द्योतक है। इसके अलावा, आंतरिक लेखापरीक्षा विंग में कर्मचारियों की कमी के मुद्दे पर, अब समिति को यह जानकारी दी गई है कि आज की तारीख में, आईएडब्ल्यू ने आंतरिक लेखापरीक्षा कराने हेतु 17 लेखापरीक्षा कंसल्टेंट को नियुक्त किया गया है और आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए अतिरिक्त नियमित जनशक्ति के सृजन हेतु वित्त मंत्रालय को एक प्रस्ताव दिया गया है। समिति इस बात से और भी व्यथित है कि आईएडब्ल्यू ने इस संबंध में 11.11.21 को योजनाओं के डीडीओ के लिए भी आंतरिक लेखापरीक्षा करने के निर्देश जारी किए हैं। समिति इस

बात को लेकर भी क्षुब्ध है कि समिति द्वारा ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों का साक्ष्य लिए जाने के बाद ही ऐसा किया गया था। यदि ये कदम पहले ही उठाए जाते तो 7.21 करोड़ रुपए के कर की कटौती न करने की स्थिति से बचा जा सकता था। समिति अब आशा करती है कि मंत्रालय ऐसे मामलों का पता लगाने और उनमें सुधार करने के लिए अधिक सतर्क और तत्पर रहेगा, जिसके बड़े वित्तीय प्रभाव हैं। समिति को वित्त मंत्रालय द्वारा आंतरिक लेखापरीक्षा के लिए अतिरिक्त कर्मचारियों की मंजूरी की स्थिति से भी अवगत कराया जाए।

6. समिति नोट करती है कि आयकर अधिनियम की धारा 201 में यह उपबंध है कि यदि कोई व्यक्ति, जो स्रोत पर कटौती करने के लिए उत्तरदायी है, कटौती नहीं करता है या इस प्रकार कटौती करने के बाद, कर के पूरे या किसी भाग को सरकार को भुगतान करने में विफल रहता है तो ऐसा व्यक्ति, उस कर की राशि पर उस तारीख से, जिस पर ऐसा कर काटा जाना था, प्रत्येक माह या माह के भाग के लिए, उस तारीख तक एक प्रतिशत की दर से जिस पर ऐसा कर काटा गया था, साधारण ब्याज का भुगतान करने के लिए उत्तरदायी होगा। समिति मंत्रालय के इस तर्क से संतुष्ट नहीं है कि चूंकि दो सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों द्वारा स्वीकार्य कर जमा कर दिए गए हैं, इसलिए कर की राशि पर ब्याज का भुगतान करने की जिम्मेदारी लागू नहीं हो सकती है। समिति मंत्रालय के इस ढुलमुल रवैये पर हैरान है क्योंकि वर्ष 2018-19 में सीएजी द्वारा इस मुद्दे को इंगित किए जाने के बावजूद, मंत्रालय द्वारा इस दिशा में अब तक कोई ठोस कदम नहीं उठाया गया था। आयकर अधिनियम की धारा 201 और समझौते के खंड 11.8.1 का सावधानीपूर्वक अनुपालन का आग्रह करते हुए, समिति चाहती है कि मंत्रालय, टीडीएस की कटौती और उसे सरकारी खजाने में जमा करने के साथ-साथ लापरवाह अधिकारी से ब्याज की वसूली करे। समिति को संसद में इस प्रतिवेदन की प्रस्तुति के एक माह के भीतर इस संबंध में की गई कार्रवाई से अवगत करवाया जाए।

नई दिल्ली;
मार्च, 2022
फाल्गुन, 1943(शक)

अधीर रंजन चौधरी
सभापति,
लोक लेखा समिति

परिशिष्ट - एक

<u>लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति-एक (सिविल) की 01 सितंबर, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश</u>

उप-समिति की बैठक शुक्रवार, 01 सितम्बर, 2021 को 1500 बजे से 1630 बजे तक समिति कक्ष-दो, संसदीय सौध विस्तार, नई दिल्ली में हुई।

<u>उपस्थित</u>

श्री शक्तिसिंह गोहिल - संयोजक

<u>सदस्य</u>
<u>लोक सभा</u>

2. श्री टी.आर. बालू
3. श्री राहुल रमेश शेवाले

<u>सचिवालय</u>

1. श्री टी. जी. चन्द्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री तीर्थंकर दास - निदेशक
3. श्रीमती अंजु कुकरेजा - उप सचिव

<u>भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के अधिकारी</u>

1. श्री राज गणेश विश्वनाथन - उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (वाणिज्यिक समन्वय और स्थानीय निकाय) और चेयरमैन, लेखा परीक्षा बोर्ड
2. श्री एल.ए.सी. सिंह - उप नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (रिपोर्ट सेंट्रल)
3. श्रीमती गीता मेनन - महानिदेशक (वाणिज्यिक)-एक
4. श्रीमती रितिका भाटिया - महानिदेशक (वाणिज्यिक)-दो
5. श्री अशोक सिन्हा - एजीए (गृह)
6. श्री एस. वी. सिंह - पी.डी(पी.सी)

2. सर्वप्रथम, माननीय संयोजक, उप-समिति-एक (सिविल) ने सदस्यों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों का इस उप-समिति की बैठक में स्वागत किया, जिन्हें लेखापरीक्षा द्वारा निम्नलिखित विषयों - (एक) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2019 के प्रतिवेदन संख्या 14 पर आधारित "प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना", (दो) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2017 के प्रतिवेदन संख्या 8 के पैरा संख्या 2.13 के आधार पर "लक्षद्वीप द्वीपसमूह में बिजली का

उत्पादन और वितरण" और (तीन) नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2021 के प्रतिवेदन संख्या 2 के पैरा संख्या 10.1 के आधार पर "स्रोत पर कर की कटौती नहीं करना" पर जानकारी देने के लिए बुलाया गया था।

3. तत्पश्चात, भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के अधिकारियों ने एक पावर प्वाइंट प्रस्तुतीकरण दिया और उप-समिति को **"प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना"** पर 2019 के लेखापरीक्षा प्रतिवेदन संख्या 14 में अंतर्विष्ट लेखापरीक्षा टिप्पणियों के बारे में जानकारी दी। इसके अलावा, अधिकारियों ने बताया कि मंत्रालय ने लेखापरीक्षा प्रतिवेदन में की गई सभी 12 सिफारिशों को स्वीकार कर लिया है।

4. सदस्यों ने लेखापरीक्षा निष्कर्षों पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय द्वारा की-गई कार्रवाई की स्थिति पर कुछ स्पष्टीकरण की मांग की। इसके अतिरिक्त, सदस्यों ने लेखापरीक्षा द्वारा अपनी टिप्पणियों के बाद तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा शुरू किए गए कार्यों; किसी महिला के नाम पर एक से अधिक कनेक्शन से बचने के लिए एलपीजी सिलेंडर के वितरकों द्वारा आधार नंबर की सीडिंग का ब्यौरा; दोहराव दूर करना; सिलेंडर की डिलीवरी में विलंब; ओएमसी द्वारा सुरक्षा उपायों का अनुपालन और निगरानी; सेवाओं के बेहतर वितरण के लिए डिजिटल प्लेटफॉर्म जैसे ऐप का उपयोग; और पीएमयूवाई उपभोक्ताओं को सब्सिडी का हस्तांतरण न करने के मुद्दे के बारे में जानकारी मांगी ।

5. तत्पश्चात, लेखापरीक्षा अधिकारियों ने **"स्रोत पर कर की कटौती नहीं करना"** संबंधी 2021 के प्रतिवेदन संख्या 2 के पैरा संख्या 10.1 में की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर उप-समिति को जानकारी दी। लेखापरीक्षा ने बताया कि तीन सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों से भुगतान से स्रोत पर कुल 7.21 करोड़ रु कर की कटौती नहीं की गई जो ग्रामीण विकास मंत्रालय को आयकर अधिनियम की धारा 201 के अनुसार ब्याज के भुगतान के लिए उत्तरदायी बनाता है।

6. सदस्यों ने निर्धारित प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय की असफलता और ऐसी चूक के लिए जिम्मेदार मंत्रालय के अधिकारी के खिलाफ जिम्मेदारी तय करने के लिए शुरू की गई कार्रवाई के बारे में जानकारी मांगी।

7. तत्पश्चात, लेखापरीक्षा अधिकारियों ने **"लक्षद्वीप द्वीपसमूह में बिजली का उत्पादन और वितरण"** विषय पर 2017 के प्रतिवेदन संख्या 8 के पैरा संख्या 2.13 में की गई महत्वपूर्ण टिप्पणियों पर उप-समिति को जानकारी दी। लेखापरीक्षा ने डीजी सेटों की अतिरिक्त क्षमता की

स्थापना, कवरत्ती और मिनिकॉय में थोक तेल भंडारण सुविधाओं का शुरू न होना जिसके परिणामस्वरूप 2.65 करोड़ रुपये की पारगमन हानि हुई और उच्च पारगमन और वितरण हानियों के कारण मानकों से अधिक डीजल की खपत और परिहार्य व्यय आदि जैसे मुद्दों को इंगित किया।

8. सदस्यों ने पारगमन और वितरण हानियों की जांच के लिए प्राधिकारियों द्वारा शुरू किए गए कार्यों; डीजल के भंडारण और चोरी पर रोक लगाने; थोक तेल भंडारण सुविधाओं को चालू करने और मुख्य भूमि पर बार्ज की उपलब्धता आदि की स्थिति के बारे में जानकारी मांगी ।

9. तत्पश्चात, लेखापरीक्षा के सुझाव पर विचार करते हुए, उप-समिति ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के 2019 के प्रतिवेदन संख्या 14 पर आधारित **"प्रधानमंत्री उज्ज्वला योजना"** (पीएमयूवाई) विषय पर पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय/तेल विपणन कंपनियों के प्रतिनिधियों के मौखिक साक्ष्य लेने के लिए अपनी अगली बैठक 13 सितंबर, 2021 को आयोजित करने का निर्णय लिया।

10. तत्पश्चात, संयोजक ने उपरोक्त विषयों पर उप-समिति को जानकारी देने के लिए नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारियों को धन्यवाद दिया।

<u>तत्पश्चात, उप-समिति की बैठक स्थगित हुई।</u>

लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति-एक (सिविल) की 29 अक्तूबर, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश

उप-समिति की बैठक शुक्रवार, 29 अक्तूबर, 2021 को समिति कक्ष `डी`, संसदीय सौध, नई दिल्ली में 1530 बजे से 1630 बजे तक हुई।

उपस्थित

श्री शक्तिसिंह गोहिल - संयोजक

सदस्य

लोक सभा

2. श्री राहुल रमेश शेवाले

3. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी

लोक सभा सचिवालय

1. श्री तीर्थंकर दास - निदेशक

2. श्रीमती अंजु कुकरेजा - उप सचिव

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारी

1. सुश्री संगीता चौरे, उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक

2. सुश्री गीता मेनन, महानिदेशक (वाणिज्यिक - एक)

ग्रामीण विकास मंत्रालय के अधिकारी

1. श्री नागेन्द्र नाथ सिन्हा, सचिव
2. श्री प्रवीण महतो, मुख्य आर्थिक सलाहकार
3. सुश्री लीना जौहरी, अपर सचिव और वित्तीय सलाहकार

संबंधित सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों के प्रतिनिधि

1. श्री डी. वेंकटेस्वरलु, निदेशक (प्रोडक्शन), आईटीआई लिमिटेड
2. श्री सुधांशु कुमार, महाप्रबंधक (वित्त), ईसीआईएल
3. श्री मनोज कुमार, कार्यकारी निदेशक (एनएम), बीईएल

2. सर्वप्रथम, उप-समिति - एक (सिविल) के माननीय संयोजक ने नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के वर्ष 2021 की प्रतिवेदन संख्या 2 के पैरा 10.1 पर आधारित **"स्रोत पर कर की कटौती नहीं करना"** विषय के संबंध में लेखापरीक्षा निष्कर्षों के बारे में ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों का मौखिक साक्ष्य लेने के लिए आयोजित उप-समिति की बैठक में सदस्यों और भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारियों का स्वागत किया।

3. तत्पश्चात, संयोजक ने उप नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को उपर्युक्त विषय के संबंध में लेखापरीक्षा द्वारा इंगित की गई कमियों और दिए गए सुझावों पर जानकारी देने के लिए कहा।

4. विषय के संबंध में लेखापरीक्षा अधिकारियों द्वारा जानकारी दिए जाने के पश्चात, ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों और पीएसयू कंसोर्टियम अर्थात इलेक्ट्रॉनिक्स कारपोरेशन ऑफ़ इंडिया लिमिटेड, इंडियन टेलीफोन इंडस्ट्री लिमिटेड तथा भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड के अधिकारियों को अंदर बुलाया गया और संयोजक ने बैठक में उनका स्वागत किया। उप-समिति की कार्यवाही को गोपनीय रखने के लिए साक्षियों से आग्रह करते हुए संयोजक ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव से पीएसयू के एक कंसोर्टियम द्वारा दी गई पेशेवर और तकनीकी सेवाओं के लिए 10 प्रतिशत की दर से स्त्रोत पर कर कटौती करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय की विफलताओं, जिसके परिणामस्वरूप 7.21 करोड़ रुपए के कर की कटौती नहीं हुई, से संबंधित उपर्युक्त पैरा में यथा अंतर्विष्ट लेखापरीक्षा निष्कर्षों और मंत्रालय द्वारा इस पर की-गई-कार्रवाई के बारे में उप-समिति को जानकारी देने के लिए कहा।

5. तत्पश्चात, ग्रामीण विकास मंत्रालय के सचिव ने मंत्रालय द्वारा उपर्युक्त कमियों को स्वीकार करने, ऐसी कमियों को दूर करने के लिए उनके द्वारा प्रस्तावित विचार, उक्त मुद्दे के समाधान के लिए लेखापरीक्षा द्वारा प्रस्तावित सिफारिशों और मंत्रालय द्वारा इस पर की-गई-कार्रवाई इत्यादि के बारे में उप-समिति को जानकारी दी।

6. तत्पश्चात, संयोजक और अन्य सदस्यों ने निर्धारित उपबंधों और करार की शर्तों, वर्ष 2018-19 के दौरान किए गए कुछ भुगतानों पर चयनात्मक तरीके से कर की कटौती करने के कारणों, इस मामले से संबंधित व्यक्तियों की जवाबदेही तय करने, उस समय केवल एक डीडीओ की उपलब्धता के कारणों, आंतरिक लेखापरीक्षा तथा आंतरिक नियंत्रण और बजट प्रबंधन की मौजूदा प्रणालियों को सुदृढ़ करने, आयकर अधिनियम की धारा 201 के अनुसार ब्याज के भुगतान, ग्रामीण विकास मंत्रालय से भुगतान प्राप्त होने के पूर्व बीईईएल और ईसीआईएल द्वारा अग्रिम कर जमा करने के कारणों, भविष्य में ऐसी घटनाओं से बचने के लिए प्रक्रिया तैयार करने इत्यादि का अनुपालन सुनिश्चित करने में ग्रामीण विकास मंत्रालय की विफलताओं के कारणों से संबंधित कतिपय मुद्दे उठाए।

7. तत्पश्चात, माननीय संयोजक ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के प्रतिनिधियों से समिति सचिवालय द्वारा उन्हें दिए जाने वाले प्रश्नों की सूची के उत्तरों के साथ-साथ वर्तमान में उनके पास तत्काल अनुपलब्ध जानकारी 15 दिनों के भीतर देने के लिए कहा।

8. तत्पश्चात, संयोजक ने उप-समिति के समक्ष उपस्थित होने और मूल्यवान जानकारी साझा करने के लिए ग्रामीण विकास मंत्रालय और पीएसयू के प्रतिनिधियों को धन्यवाद दिया। उन्होंने उक्त विषय के बारे में उप-समिति को जानकारी देने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक कार्यालय के अधिकारियों को भी धन्यवाद दिया।

तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

बैठक की शब्दशः कार्यवाही की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।

तत्पश्चात, उप-समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट- तीन

लोक लेखा समिति (2021-22) की उप-समिति- I (सिविल) की 30 दिसंबर, 2021 को हुई बैठक का कार्यवाही सारांश।

उप-समिति की बैठक गुरुवार, 30 दिसंबर, 2021 को 1600 बजे से 1630 बजे तक समिति कमरा संख्या 1, विस्तार भवन, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री शक्तिसिंह गोहिल - संयोजक

सदस्य

लोकसभा

2. श्री प्रताप चंद्र षडङ्गी
3. श्री टी.आर बालू

सचिवालय

1. श्री टी. जी. चंद्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री तीर्थंकर दास - निदेशक
3. श्रीमती अंजु कुकरेजा - उप सचिव

भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के अधिकारी

1. श्री राकेश मोहन - उप नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक
2. श्री अशोक सिन्हा - प्रधान निदेशक
3. श्री एस.वी. सिंह - प्रधान निदेशक

2. सर्वप्रथम, माननीय संयोजक, उप-समिति-I (सिविल) ने नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक के वर्ष 2021 के प्रतिवेदन संख्या 2 के पैरा 10.1 पर आधारित "स्रोत पर कर की कटौती न करना" विषयक प्रारूप प्रतिवेदन पर विचार करने और उसे स्वीकार करने हेतु आयोजित उप-समिति की बैठक में सदस्यों का और भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों का स्वागत किया । प्रारूप प्रतिवेदन की जानकारी देने के बाद, उन्होंने उप-समिति के प्रमुख निष्कर्षों और उपर्युक्त विषय से संबंधित प्रारूप प्रतिवेदन में की गई महत्वपूर्ण सिफारिशों पर प्रकाश डाला।

3. उप-समिति ने कुछ विचार-विमर्श के बाद, मामूली संशोधन के साथ प्रारूप प्रतिवेदन को स्वीकार किया। समिति ने लेखापरीक्षा द्वारा किए गए वास्तविक सत्यापन के आधार पर प्रतिवेदन को अंतिम रूप देने और इसे लोक लेखा समिति के समक्ष प्रस्तुत करने के लिए संयोजक को भी प्राधिकृत किया।

4. तत्पश्चात, संयोजक ने भारत के नियंत्रक एवं महालेखापरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों का धन्यवाद किया।

तत्पश्चात, उप-समिति की बैठक स्थगित हुई।

परिशिष्ट -चार

लोक लेखा समिति (2021-22) की 10 फरवरी, 2022 को हुई दसवीं बैठक का कार्यवाही सारांश

लोक लेखा समिति की बैठक गुरुवार, 10 फरवरी, 2022 को 1500 बजे से 1555 बजे तक मुख्य समिति कक्ष, संसदीय सौध, नई दिल्ली में हुई।

उपस्थित

श्री अधीर रंजन चौधरी - सभापति

सदस्य

लोक सभा

2. श्री सुभाष चन्द्र बहेड़िया
3. श्री भर्तृहरि महताब
4. श्री विष्णु दयाल राम
5. श्री राहुल रमेश शेवाले
6. डॉ. सत्यपाल सिंह
7. श्री राजीव रंजन सिंह `ललन`
8. श्री जयंत सिन्हा
9. श्री राम कृपाल यादव

राज्य सभा

10. श्री शक्तिसिंह गोहिल
11. श्री भुबनेश्वर कालिता
12. डॉ. सी.एम. रमेश
13. श्री वि. विजयसाई रेड्डी
14. डॉ. सुधांशु त्रिवेदी

लोक सभा सचिवालय

1. श्री टी.जी.चन्द्रशेखर - संयुक्त सचिव
2. श्री तीर्थंकर दास - निदेशक
3. श्री एस.आर. मिश्रा - निदेशक
4. श्रीमती भारती एस. टुटेजा - अपर निदेशक

भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय के प्रतिनिधि

1. श्री राकेश मोहन - उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक
2. श्री राज गणेश विश्वनाथन - उप नियंत्रक और महालेखापरीक्षक

3. श्रीमती रितिका भाटिया - महानिदेशक

भाग-एक

2. सर्वप्रथम, सभापति ने समिति की बैठक में समिति के सदस्यों तथा भारत के नियंत्रक और महालेखापरीक्षक कार्यालय के अधिकारियों का स्वागत किया। तत्पश्चात, उन्होंने समिति के समक्ष निम्नलिखित तीन कार्यसूची मदों से सदस्यों को अवगत कराया।

एक. **XXXX** **XXXX** **XXXX**

दो. **XXXX** **XXXX** **XXXX**

तीन. 4 प्रारूप प्रतिवेदनों पर विचार करना और उसे स्वीकार करना।

3. **XXXX** **XXXX** **XXXX**

4. **XXXX** **XXXX** **XXXX**

5. **XXXX** **XXXX** **XXXX**

6. **XXXX** **XXXX** **XXXX**

7. **XXXX** **XXXX** **XXXX**

8. तत्पश्चात, समिति ने निम्नलिखित प्रतिवेदनों को विचारार्थ लिया:

एक. **XXXX** **XXXX** **XXXX**

दो. **"स्रोत पर कर की कटौती नहीं करना"** संबंधी प्रारूप प्रतिवेदन

तीन. **XXXX** **XXXX** **XXXX**

चार. **XXXX** **XXXX** **XXXX**

9. **XXXX** **XXXX** **XXXX**

10. कुछ विचार-विमर्श के पश्चात, समिति ने उपर्युक्त चार प्रतिवेदनों को बिना किसी परिवर्तन/संशोधन के स्वीकार किया। समिति ने तथ्यात्मक सत्यापन के आधार पर उपर्युक्त प्रतिवेदनों को अंतिम रूप देने और उसे माननीय अध्यक्ष/संसद को प्रस्तुत करने के लिए सभापति को प्राधिकृत भी किया।

भाग-दो

11. **XXXX** **XXXX** **XXXX**

12. **XXXX** **XXXX** **XXXX**

13. **XXXX** **XXXX** **XXXX**

14. **XXXX** **XXXX** **XXXX**

15. **XXXX** **XXXX** **XXXX**

तत्पश्चात, साक्षी साक्ष्य देकर चले गए।

तत्पश्चात समिति की बैठक स्थगित हुई।

समिति की बैठक की कार्यवाही की ऑडियो रिकॉर्डिंग की प्रतिलिपि की एक प्रति रिकॉर्ड में रखी गई है।